भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3377

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वन में आयुर्वेदिक औषधीय पौधे

3377. श्री मनीष जायसवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश भर के विभिन्न वनों में उपलब्ध औषधीय पौधों से आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर के विभिन्न वनों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों से आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने की किसी योजना/परियोजना पर कार्य कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार विशेषकर झारखंड के हजारीबाग जिले के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में राज्यों में जागरूकता अभियान चला रही है/चलाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हां, सरकार को जानकारी है कि देश भर के विभिन्न वनों में उपलब्ध औषधीय पौधों से आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं। औषधीय पौधे आयुर्वेदिक औषधियों के प्रमुख संसाधन हैं और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रकाशित मांग और आपूर्ति अध्ययन के अनुसार, इन औषधियों के लिए औषधीय पौधों के रूप में कच्चे माल की 70% से अधिक मात्रा वनों से प्राप्त होती है।

(ख) और (ग): औषधीय पौधे आयुर्वेदिक औषधियों के प्रमुख संसाधन हैं और इन औषधियों को तैयार करने हेतु औषधीय पौधों के कच्चे माल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय अपनी "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" के अंतर्गत झारखंड राज्य सहित पूरे देश के वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों के संसाधन संवर्धन/रोपण हेतु राज्य वन विभागों को परियोजना आधारित सहायता प्रदान कर रहा है। औषधीय पौधों के संसाधन संवर्धन/रोपण हेतु राज्यवार समर्थित क्षेत्र **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(घ): देश में औषधीय पौधों के क्षेत्र के बारे में जागरूकता और प्रचार-प्रसार हेतु, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय “औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना” के सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) घटक के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों को सहयोग प्रदान कर रहा है:

i. प्रदर्शनियों/मेलों में नियमित भागीदारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार
ii. औषधि वनस्पति मित्र कार्यक्रम (एवीएमपी)
iii. कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों/आरोग्य मेलों आदि का आयोजन
iv. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल
v. प्रजाति-विशिष्ट अभियान आदि का शुभारंभ।

*****

संलग्नक-I

एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय की "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" के तहत औषधीय पौधों की प्रजातियों के संसाधन संवर्धन/रोपण के लिए समर्थित राज्य-वार क्षेत्र।

राज्य का नाम	**संसाधन संवर्धन के लिए समर्थित क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
अरुणाचल प्रदेश	501.09
अंडमान और निकोबार	49.13
आंध्र प्रदेश	4593.2
असम	1150.54
छत्तीसगढ	2526.08
दादरा नगर	12
गोवा	82
गुजरात	11509.88
हरियाणा	290.34
हिमाचल प्रदेश	2780.5
जम्मू-कश्मीर	1511.45
झारखंड	1429.38
कर्नाटक	3242.22
केरल	987.97
मध्य प्रदेश	5759.5
महाराष्ट्र	6041.93
मणिपुर	2832.07
मेघालय	2
मिजोरम	3118.19
नगालैंड	1729.94
ओडिशा	902.67
पंजाब	264.22
राजस्थान	7332.26
सिक्किम	5004.17
तमिलनाडु	1346.19
तेलंगाना	1011.38
त्रिपुरा	2372.1
उत्तराखंड	1955.91
उत्तर प्रदेश	944.66
पश्चिम बंगाल	1455.39
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	**72738.36**